न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 104/2017

श्री हीरासिंह पुत्र स्व0 श्री प्रेमसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम केलावास (पूर्व नाम – माल का चौड़ा), तहसील टाटगढ, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, टाटगढ जिला अजमेर

रेस्पोडेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

———

उपस्थित :–

1. श्री कुलवन्तसिंह चौहान, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील

–: आदेश :–

दिनांक – 28.03.2018

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि सम्वत 2074 में श्री हीरालाल पुत्र स्व0 श्री प्रेमसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम केलावास (पूर्व नाम – माल का चौड़ा), तहसील टाटगढ, जिला अजमेर ने ग्राम केलावास के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 5050 किस्म दांती में रकबा 10–0–0 बीघा भूमि पर अवैध रूप से कांटों की बाड़ लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार टाटगढ के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 12/2017 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 20.09.2017 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार विवादित भूमि से अतिक्रमी की बेदखली व शास्ति कायम करने के साथ ही मौके पर उपलब्ध सामग्री को जब्त कर नीलामी के

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 20.09.2017 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 के नाम नोटिस जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड मंगवाया गया। रेस्पो0 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्धान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना विधिक प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए साईक्लोस्टाईल आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी कथन है कि अपीलान्ट पूर्वजों के समय से अर्थात वर्ष 1966 से पानी का टेंक, बाड़े एवं पेड़ पौधे लगाकर विवादित दांती भूमि को विकसित कर काबिज है। मौके पर उनका रिहायशी मकान बना हुआ है, जिसमें अपीलान्ट परिवार सहित निवास कर रहा है। इस कारण अपीलान्ट का विवादित भूमि पर लगभग 30–40 वर्षों से कब्जा है। सम्वत 2074 में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। उन्होने आगे कथन किया कि स्थानीय सरपंच द्वारा अपीलार्थी से ईर्ष्या एवं द्वेषतावश राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर अपीलार्थी को पूर्वजों के समय से काबिज भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही असत्य आधारों पर की गई है। अपीलार्थी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने व सामग्री जब्त सरकार किये जाने की स्थिति में मानसिक रूप से आघात लगेगा एवं पानी का टेंक व बाड़े नष्ट हो जाने से अपीलार्थी एवं उसके परिवार पर रहन सहन एवं चारा आदि का घोर संकट उत्पन्न हो जायेगा। वकील अपीलान्ट ने हमारा ध्यान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 73/86 हीरासिंह बनाम पन्नालाल अन्तर्गत नियम 14(4) राज0 भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 में पारित आदेश दिनांक 18.12.87 की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा आवंटन कमेटी द्वारा विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 5050 किस्म गै0मु0 दांती भूमि में से निजी वन विकास हेतु दिनांक 08.05.1986 को अप्रार्थी श्री पन्नालाल पुत्र श्री भैरू, जाति भील निवासी टाटगढ, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर को आवंटन की गई 13–07–00 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त किया गया है। साथ ही राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 5050 के सम्बन्ध में अपील संख्या 508/2012 हीरासिंह बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 30.07.2015 को निर्णय पारित कर उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को अपील इन निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित की गई है कि "वे अपीलान्ट के प्रकरण को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखकर अपीलान्ट की नियमन/आवंटन की पात्रता की विधिवत जांच कर भू–आवंटन नियम 1970 के नियमन/आवंटन नियमों के तहत विधिसम्मत कार्यवाही 90 दिवस की अवधि के अन्दर करे।" अन्त में उन्होने कथन किया कि अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से ही उक्त भूमि पर मकान व बाड़ा बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है। इस कारण अपीलान्ट

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

का विवादित भूमि पर पुराना कब्जा होने के कारण राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के आधार पर आवंटन/नियमन का अधिकारी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अपीलान्ट द्वारा सिवायचक भूमि पर अवैध रूप से कांटो की बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया गया है। पैरोकार सरकार ने आगे कथन कि राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि की किस्म दांती है। जिसका किसी भी प्रकार से आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर अनाधिकृत रूप से कांटों की बाड लगा कर कब्जा किया हुआ है। विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में सिवायचक दांती के रूप में दर्ज है। अपीलान्ट का यह कथन कि पुराने के कब्जे के आधार पर विवादित भूमि आवंटन/नियमन योग्य है। इस संबंध में उन्हें सक्षम अधिकारी के समक्ष आवंटन/नियमन बाबत कार्यवाही की जानी चाहिए। अपील के माध्यम से उन्हें कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता। फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है उसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 28.03.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner